राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

कमांकःई–12/एम/(238)/2010/ 517 दिनांकः– 22-6-10

समस्त संयुक्त निदेशक,
जोन– राजस्थान ।
समस्त अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय समूह,
राज0 ।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राज0 ।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राज0 ।

विषयः– स्वेच्छा से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरूद्व राज0 सेवा नियम 86/सी0सी0ए0 नियमों के तहत कार्यवाही करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि आपके कार्यालय/चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के स्वेच्छा से राज्य सेवा से अनुपस्थित हो जाते है तथा वर्षो/महिनों के बाद पुनः कर्तव्य पर उपस्थिति प्रस्तुत करते है, लेकिन उक्त कर्मचारियों के स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर आप द्वारा राज0 सेवा नियम 86/सी0सी0ए0 नियमों के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही प्रारम्भ नही की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन जो भी कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचनां के कर्तवय से स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे है, उनके विरूद्व तुरन्त राज0 सेवा नियम 86/सी0सी0ए0 नियमों के तहत कार्यवाही आरम्भ करें तथा भविष्य में भी कर्मचारी स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे उसके विरूद्व तुरन्त कार्यवाही आरम्भ कर पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

अति0 निदेशक(प्रशा0)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर ।

कमांकःई–12/एम/(238)/2010/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– प्रभारी, सर्वर रूम कर्मरा नं0 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करें ।

अति0 निदेशक(प्रशा0)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर ।

D:\KAILASH\LATTER.doc